तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 2003 / 134 / हनुमानगढ़</u>** **धर्मपाल बनाम रामप्यारी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

<u>एकलपीठ</u>
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

<u>उपस्थित :–</u>
श्री जगदीश प्रसाद माथुर, अभिभाषक प्रार्थी

<u>दिनांक : 08–1–2020</u>

<u>निर्णय</u>

1– यह निगरानी अन्तर्गत धारा–230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विद्वान उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), नोहर के निर्णय दिनांक 4–12–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता / वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अप्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोहर के समक्ष वर्ष 1988 में प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवादीगण ने जवाबदावा प्रस्तुत किया। तनकीयात कायम किये गये और वादी की साक्ष्य दर्ज कर ली गई। प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादीगण में चल रहा था। अप्रार्थी संख्या–11 गाडूराम उर्फ रामकुमार ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 3–10–2002 को आदेश–1 नियम–10(2) सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वह सुखराम का गोद पुत्र है इसलिये उसे प्रकरण में बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया जाये। इस प्रार्थना पत्र का जवाब वादी ने प्रस्तुत किया और प्रार्थना पत्र के तथ्यों से इन्कार किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोहर ने अपने निर्णय दिनांक 4–12–2002 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 2003 / 134 / हनुमानगढ़</u>** **धर्मपाल बनाम रामप्यारी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या–11 गाडूराम उर्फ रामकुमार को बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाने के आदेश प्रदान कर दिये। उक्त निर्णय दिनांक 4–12–2002 से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से श्री ब्रह्मनन्द शर्मा, अभिभाषक उपस्थित हुये। दिनांक 3–12–2019 को अप्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक को बार बार आवाज लगवाई गई लेकिन वे उपस्थित नहीं हुये। अतः एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कथन किया कि निगरानीधीन आदेश दिनांक 4–12–2002 कानून एवं मिसल पर उपलब्ध तथ्य, साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड के एकदम विपरीत होने के कारण प्रथम दृष्टया ही निरस्त होने योग्य है। अप्रार्थी संख्या–11 ने एक दिवानी वाद संख्या–62/2008 में न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक संख्या–2), हनुमानगढ़ मुख्यालय नोहर के निर्णय दिनांक 21–3–2012 में इसी गोदनामे पर निर्णय प्रदान करते हुये गाडूराम को सुखराम का दत्तक पुत्र नहीं माना है। इस निर्णय के पश्चात स्वतः स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या–11 गाडूराम प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निगरानीधीन निर्णय दिनांक 4–12–2002 त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्तनीय है। अपने तर्को के समर्थन में उन्होंने निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :–

(1) आरबीजे–2012(19) पेज–91
(2) आरबीजे–2018(25) पेज–124

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 2003 / 134 / हनुमानगढ़</u>** **धर्मपाल बनाम रामप्यारी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

5– हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का आदरपूर्वक परिशीलन किया गया।

6– पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक संख्या–2) हनुमानगढ़ मुख्यालय नोहर के निर्णय दिनांक 21–3–2012 में गोडूराम को सुखराम का दत्तक पुत्र नहीं माना है। अतः अप्रार्थी संख्या–11 इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं है। विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होते हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोहर का निर्णय दिनांक 4–12–2002 त्रुटिपूर्ण निर्णय है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

7– फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोहर का निर्णय दिनांक 4–12–2002 अपास्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(**हरि शंकर गोयल**)
सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 2003 / 134 / हनुमानगढ़</u>** **धर्मपाल बनाम रामप्यारी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए